संख्या– 514/33–3–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2–निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3–समस्त, जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक 11 मार्च, 2023

विषय: स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठकें आहूत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित होने वाले प्रत्येक कार्य उक्त समिति के अनुमोदन से तथा इनके देख–रेख में किये जाने के निर्देश हैं। समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए, ऐसे शासन के निर्देश हैं। जनपद कानपुर देहात में हुई अनियमितता के दृष्टिगत वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर ग्राम पंचायतों के प्रधानों के विरूद्ध शासन को कार्यवाही करना पड़ा। कानपुर देहात में हो रही इस अनियमितता को लम्बे समय तक नहीं पकड़ा जा सका, इसका मुख्य कारण यह रहा कि जिला स्वच्छता समिति की बैठकें प्रत्येक माह (समय पर) नहीं हो रही थी।

2– उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला स्वच्छता समिति की एक बैठक दिनांक 17.03.2023 तक प्रत्येक जनपद में अवश्य सम्पन्न किया जाय। उक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं को एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाय :–

(1). व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण:

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के अन्तर्गत इस वर्ष 8,63,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाना है। जिसके सापेक्ष अभी तक मात्र 5 लाख लाभार्थियों को ही प्रथम किश्त अवमुक्त की जा सकी है। उक्त बैठक में शेष समस्त पात्र लाभीर्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमादित किया जाय तथा धनराशि अवमुक्त किया जाय। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। अतः यदि धनराशि अगले सप्ताह तक अवमुक्त नहीं हुई तो इस वित्तीय वर्ष में कार्य का पूर्ण होना सम्भव नहीं हो पाएगा।

(2). सामुदायिक शौचालय :

शेष समस्त सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय तथा सामुदायिक शौचालयों की देख–रेख हेतु नियुक्त केयर टेकर के मानदेय के भुगतान की समीक्षा की जाय।

(3). ओ0डी0एफ0 प्लस की स्थिति :

ओ0डी0एफ0 प्लस की कार्ययोजना के सापेक्ष किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाय तथा कार्यों की रफ्तार तेज करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रदेश में अभी लगभग 60,000 राजस्व ग्रामों में ओ0डी0एफ0 प्लस के अन्तर्गत सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के किसी भी कार्य को एस0बी0एम0 पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों को भारत सरकार के नियत पोर्टल पर तत्परता से अपलोड कराया जाए।

(4). चयनित 15 मॉडल ग्रामों की स्थिति :

प्रत्येक जनपद में 15 ग्राम इस वर्ष ओ0डी0एफ0 प्लस में मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए चयनित हैं। उक्त ग्रामों में कार्यों की प्रगति तथा आई0डी0सी0 रिसोर्स सेन्टर द्वारा तैयार किये गये चेक लिस्ट को भरने व इसके अनुसार कार्य के मॉनिटरिंग की स्थिति।

उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारीगण अपने जनपद के आवश्यकतानुसार अन्य बिन्दु भी चर्चा हेतु सम्मिलित कर सकते हैं।

3— मण्डल मुख्यालय के जनपदों में जिला स्वच्छता समिति की बैठकों में उप निदेशकगण, पचांयती राज स्वयं प्रतिभाग करेंगे। मण्डल मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य जनपदों में राज्य स्तर के अधिकारी व राज्य स्तरीय कन्सलटेंट एवं मण्डल स्तरीय कन्सलटेंट प्रतिभाग करेंगे।

4— निदेशक, पंचायती राज जनपद लखनऊ की जिला स्वच्छता समिति की बैठक में भाग लेंगे।

5— निदेशक, पंचायती राज समस्त जनपदों के जिला स्वच्छता समिति की बैठक विषयक सूचना एकत्रित कर दिनांक 20.03.2023 को शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

Manoj 11.3.23

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक—तदैव।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

Manoj

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।